मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 8–20 / 08 / 2 / 34 भोपाल, दिनांक 30 मई, 2009

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र–भोपाल / इंदौर / ग्वालियर / जबलपुर,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश।

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
मध्यप्रदेश।

विषय :– **बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने की तैयारी।**

संदर्भ :– **प्रमुख अभियंता व्दारा जारी निर्देश क्रमांक 4487 / जसप्र / प्रअ / लो.स्वा. यां. / 09 दिनांक 25.5.2009.**

–0–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2. बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक तैयारियां करने के संबंध में संदर्भित पत्र व्दारा आपको निर्देशित किया गया है। कृपया निम्न बिन्दुओं पर कार्य योजना बनाते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

(1) वर्षा के पूर्व एवं वर्षा के समय सार्वजनिक जल स्त्रोतों का शुद्धिकरण किया जाये। इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पावडर एवं क्लोरीन आदि का भण्डारण सुनिश्चित किया जाये। जिलेवार भण्डारण की स्थिति से प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा जाये।

(2) पहुंच विहीन क्षेत्रों एवं [illegible]स्थ अंचलों में सार्वजनिक कुओं / बावड़ियों / झिरियों आदि के जल स्त्रोतों का शुध्दिकरण सुनिश्चित किया जाये।

(3) पेयजल स्त्रोत / हैण्डपम्प के आसपास गंदगी एवं कचरा हटाने की कार्यवाही पंचायत के सहयोग से की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जलस्त्रोतों के पास प्रदूषित पानी इकट्ठा न हो।

(4) बाढ़ प्रभावित ग्रामों में शुध्द पेयजल के उपाय करने के लिये कार्य योजना तैयार की जाये। अतिवृष्टि एवं बाढ़ आदि के कारण यदि जिला प्रशासन व्दारा राहत शिविर का आयोजन किया जाता है तो उन शिविरों में भी शुध्द पेयजल की व्यवस्था की जाये।

(5) कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में आवश्यक रुप से कंट्रोल रुम की स्थापना की जाये और पेयजल की स्थिति के ऊपर निगरानी रखी जाये।

3. उपर्युक्त निर्देशों पर तत्काल प्रभाव से अमल करते हुये जिले के कलेक्टर एवं प्रमुख अभियंता कार्यालय को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। निकट भविष्य में इन बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी।

(आर.के.स्वाई)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

पृ.क्रं. एफ 8–20/08/2/34 भोपाल, दिनांक 30 मई, 2009

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2. समस्त कलेक्टर, जिला ....समस्त........ मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.